

न्यायालय तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 05/2019 राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल
राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का राजासाइ

गैरसायल
श्री राजासाइ पुत्र विप्राय
जाति कुवलगात्र निवासी (पटवारी)
तहसील गड़रारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की अर्ज/अनु। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजासाइ ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने साम. (पटवारी) को खसरा नम्बर 2525 रकबा 256 बीघा में से 1-03 बीघा किरम (पटवारी) राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रार कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तागिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमणित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपमें 50 अक्षरें पत्रासाइ रूपमें मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो।

टी.आर.ए, पटवारी हल्का, निरीक्षक भूअ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

जुर्माना 50 फसल नि. _____
कुल योग 50/- जि. के पृष्ठ सं. 26
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार